

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

13/11/18

गुणवती

Identified

Ref

2008

पत्रावली वादी श्री रामलाल के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। वादी श्री रामलाल ने प्रार्थना पत्र पेश कर कर निवेदन है कि वाद सं० 54/2003 अन्तर्गत धारा 88 188 R.T. Act जज न्यायालय में विचाराधीन है में वादी व प्रतिवादी गण के मध्य सामाजिक व पारिवारिक लोगो की समझाइश से आपस में राजीनामा हो गया है जिससे वादी व प्रतिवादीगणो के मध्य कोई विवाद नहीं है। उक्त प्रकरण में राजीनामा हो जाने के कारण वादी प्रकरण का चलाना नहीं चाहता है जिसे प्रकरण के जरिये डिफ्रोल खारीज किया जाने प्रकरण में वादी श्री रामलाल ने प्रकरण के जरिये डिफ्रोल करने का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है। वादी श्री रामलाल की पहचान वकील श्री दिनेश कुमार जोशी के की है। वादी का वाद डिफ्रोल गए पत्र शा० पत्रावली दिया गया। वादी द्वारा वाद डिफ्रोल दिया जाने से प्रकरण जरिये डिफ्रोल खारीज किया जाता है पत्रावली केसल शुमार होकर दाखिल दफतर में।

निर्णय आज दिनांक 13/11/18 को सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
सुभेपुर, जिला-पाली